

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024 114 पटना, दिनांक- 16/8/26

कार्यालय आदेश

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को पटना केन्द्रीय पूल से पूर्व से आवंटित आवास को परिवर्तित करते हुए निम्नरूपेण आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम	आवंटित आवास
1.	श्री गंगेश कुमार पाण्डेय, सिपाही	मुख्यमंत्री सुरक्षा	264/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
2.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सिपाही	मुख्यमंत्री सुरक्षा	730/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
3.	श्रीमती सुरभी कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	बिहार विधान परिषद्	13/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
4.	श्री अमित कुमार, फरार्श,	बिहार विधान सभा	725/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
5.	श्री मनोज कुमार, कनीय सचिवालय सहायक	भवन निर्माण विभाग	A8/108, गर्दनीबाग
6.	श्री रमेश राउत, कनीय सचिवालय सहायक	वित्त विभाग	16/48, 48 सेट, शेखपुरा

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी/कर्मचारी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी/कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में

रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

- भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-7404(8) पटना, दिनांक:- 10/8/24

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मियों/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग, भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।